राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ासीन अधिकारी – कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

मा संख्या – 173/17 प्रा-पत्र

श्री कैलाशचन्द्र s/o श्री सूरजमल खटीक निवासी - पारोल तहसील - भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती शांति w/o श्री नारायण खटीक निवासी - पीथास तहसील - माण्डल (कोरा)
(प्रा. पत्र फोटोकॉपी संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 20.8.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर वेदन किया कि ग्राम ....पीथास.... पटवार हलका....पीथास.... तहसील माण्डल में सके खाते / संयुक्त खातें की आराजी नं. 836/1, 839/1, 840, 841, 842/2 .... कुल कता 05 .... रकबा .... 05 .... बीघा .... 06 .... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के ध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....20.8.19.... को पंजीबद्व किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से त्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ..... पीथास .... पटवार हलका....पीथास.... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 836/1, 839/1, 840, 841, 842/2 .... कुल किता 05 .... रकबा 05 .... बीघा 06 ....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ....पीथास.... को 300/- ....रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को